RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक २७(२)] **गुरुवार, ऑगस्ट ३, २०१७/श्रावण १२, शके १९३९** **[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक ४८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक ३ अगस्त २०१७ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. L OF 2017.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE ACT, 1966.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५० सन् २०१७ ।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९६६ का महा. ४१।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; इसलिये, भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र भू-राजस्व (तृतिय संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाए।

सन् १९६६ का महा. ४१ की धारा १३५ की प्रतिस्थापना।

२. महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ की धारा १३५ स्थान में, निम्न धारा, रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६६ का महा. ४१।

गाँवों के बीच की सीमाओं, सर्वेक्षण क्रमांक, और किन्ही सर्वेक्षण क्रमांक का क्षेत्र या उप-विभाजन के संबंध में विवाद।

" **१३५.** गाँव या क्षेत्र की सीमाओं या धृति, जिसका सर्वेक्षण नहीं हुआ हैं के संबंध में यदि कोई विवाद उद्‌भूत होता हैं या यदि, सर्वेक्षण के पूरे होने के पश्चात्, किसी समय पर, किसी गाँव की सीमा, किसी सर्वेक्षण क्रमांक की सीमा या क्षेत्र या सर्वेक्षण क्रमांक के उप-विभाजन के संबंध में विवाद उद्‌भूत होता हैं, तब कलक्टर द्वारा, औपचारिक जाँच, जिसमें संबंधित अधिकारी और हित रखनेवाले सभी व्यक्तियों को उपस्थित होने और सबूत प्रस्तुत करने का अवसर होगा, के पश्चात्, विनिश्चित किया जायेगा। कलक्टर, ऐसे विवाद के निपटाने के दौरान या अन्यथा, सभी संबंधित व्यक्तियों और अधिकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, सर्वेक्षण की गलती या गणितीय अशुद्ध गणना के कारण सर्वेक्षण क्रमांक या उप-विभाजन के क्षेत्र या निर्धारण में किसी त्रुटि को भी सुधार सकेगा :

परंतु, भू-राजस्व का कोई बकाया, ऐसे सुधार के कारण द्वारा भुगतान योग्य नहीं होगा ; किंतु भू-राजस्व के रुप में किया गया अधिकतर भुगतान, यदि कोई हो, भू-राजस्व, जो देय होगा के सामने समायोजित किया जायेगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, १९६६ (सन् १९६६ का महा. ४१) का अध्याय छह-कृषि भूमि के भू-राजस्व का निर्धारण और परिनिर्धारण की धारा १०६, यह उपबंध करती हैं कि, कलक्टर, निपटान की अवधि के दौरान, किसी भी समय पर, धारक को सूचना देने के पश्चात्, सर्वेक्षण की गलती या गणितीय अशुद्ध गणना के कारण, उसकी धृति के क्षेत्र या निर्धारण की किसी त्रुटि को सुधार सकेगा। तथापि, यह देखा गया हैं कि, अ-कृषक भूमि या शहर या नगरी क्षेत्र की भूमि के संबंध में, सर्वेक्षण की गलती या गणितीय अशुद्ध गणना के कारण धृति के क्षेत्र या निर्धारण की गलती सुधारणे के लिये कोई विशेष उपबंध नहीं हैं। इस संबंध में, संदिग्धता हटाने की दृष्टि से, सर्वेक्षण की गलती या गणितीय अशुद्ध गणना के कारण धृति के क्षेत्र या निर्धारण, जो कृषि भूमि के लिये निर्बंधित नहीं हैं और शहर या नगरी क्षेत्रों की अकृषक भूमि को समान रुप से लागू हैं, की त्रुटि को सुधारने के लिये, विशेष उपबंध बनाने के लिये उक्त संहिता की धारा १३५ की प्रतिस्थापना करना, इष्टकर समझा गया हैं।

२. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,
राजस्व मंत्री।

मुंबई,
दिनांकित ३१ जुलाई, २०१७।

(यथार्थ अनुवाद)
हर्षवर्धन जाधव,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ३ अगस्त २०१७.

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.